

# आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4) रूकटा(राष्ट्रीय)/अकाद/आकाशि/2024-03372/

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान।

विषय:—दिनांक 17 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान(उच्च शिक्षा) के 62वें अधिवेशन में आयोजित **विकसित एवं स्वावलम्बी भारत@2047: शिक्षकों की भूमिका** शैक्षिक संगोष्ठी में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

संदर्भ:— अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) का पत्र क्रमांक एबीआरएसएमरा (उ.शि.)2024/26 दिनांक 02.02.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) के 62वें अधिवेशन में आयोजित **विकसित एवं स्वावलम्बी भारत@2047: शिक्षकों की भूमिका** शैक्षिक संगोष्ठी में भाग लेने वाले संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/प्राचार्य/सह/सहायक—आचार्य/आचार्य/सहायक निदेशक/व्याख्याता को राजस्थान सेवा नियम के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(12) एफ.डी (गुप-2)/83 दिनांक 01.04.1983 के अंतर्गत नियमानुसार दिनांक 17.02.2024 से 18.02.2024 का विशेष आकस्मिक (अकादमिक) अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त अधिकारियों को केवल मात्र एक संगठन द्वारा आयोजित अधिवेशन में भाग लेने तथा उक्त दिवसों का उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त अवकाश का लाभ देय होगा।

उक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकारियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/समन्वयक/सह आचार्य/सहायक आचार्य/आचार्य, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. महामंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान(उच्च शिक्षा) को उनके पत्र क्रमांक एबीआरएसएमरा (उ.शि.)2024/26 दिनांक 02.02.2024 के संदर्भ में।
5. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(गोपाल राम बिरड़ा )

अतिरिक्त आयुक्त,  
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref  
5573579



Digitally signed by Gopal Ram Birda  
Designation: Additional  
Commissioner  
Date: 2024.02.09 15:26:09 IST  
Reason: Approved